संयुक्त प्रान्त कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1947)

THE UNITED PROVINCES COTTON (STATISTICS) ACT, 1947

(United Provinces Act No. V of 1947)

संयुक्त प्रान्त कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947[1]

(संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1947)

एडेप्टेशन आफ इण्डियन लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिश्कृत

[यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने दिनांक 13 अगस्त, 1946 को तथा यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव काउन्सिल ने दिनांक 18 जनवरी, 1947 की बैठक में स्वीकृत किया।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 75 के अन्तर्गत यूनाइटेड प्राविन्सेज के गवर्नर ने दिनांक 13 मार्च, 1947 को स्वीकृति प्रदान की और यूनाइटेड प्राविन्सेज गजट में 22 मार्च, 1947 को प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त में अपरिश्कृत कपास के सम्बन्ध में सांख्यिकीय के संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए

अधिनियम

प्रस्तावना

यह इश्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में अपरिश्कृत कपास के सम्बन्ध में सांख्यिकीय के संग्रहण को सुविधाजनक बनाया जाय ;

अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम "संयुक्त प्रान्त कपास (सांख्यिकीय) अधिनियम, 1947'', कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार[2] सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगा।

क्षेत्र	अधिनियम अथवा आदे ा जिनके अन्तर्गत प्रसारित किये गये हैं	विज्ञप्ति, यदि कोई है, जिनके अन्तर्गत प्रभावी किया गया	तिथि जिससे प्रभावी किया गया
1	2	3	4
1–जिला रामपुर	रामपुर (अप्लीके ान आफ लाज) ऐक्ट, 1950	विज्ञप्ति यू0ओ0सं0 133 (IV)/XVII-- 345–49, दिनांक 28 फरवरी, 1951, गजट दिनांक 3 मार्च, 1951, भाग I, पृश्ठ 184	3 मार्च, 1951
2–जिला बनारस	बनारस (अप्लीके ान आफ लाज) आर्डर, 1949	विज्ञप्ति यू0ओ0सं0 133 (II)/XVII-- 204–50, दिनांक 28 फरवरी, 1951, गजट दिनांक 3 मार्च, 1951, भाग I, पृश्ठ 184	–तदैव–
3–जिला टेहरी गढ़वाल	टेहरी–गढ़वाल (अप्लीके ान आफ लाज) आर्डर, 1949	विज्ञप्ति यू0ओ0सं0 133/XVII—344–49, दिनांक 28 फरवरी 1951, गजट दिनांक 3 मार्च, 1951, भाग I, पृश्ठ 184	–तदैव–

1. उद्दे यों तथा कारणों के विवरण के लिए गजट दिनांक 30 नवम्बर, 1946 भाग 7, पृश्ठ 15–16 देखिए।
2. यह अधिनियम इस तालिका के स्तम्भ 4 में उल्लिखित तिथि से तथा स्तम्भ 3 में उल्लिखित विज्ञप्ति (यदि कोई हो) के अन्तर्गत स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिनियमों अथवा आदे ाों के अन्तर्गत उन क्षेत्र में प्रसारित किया गया है जिनका उल्लेख स्तम्भ 1 में किया गया है।

(3) वह ऐसे दिनांक[1] से प्रवृत्त होगा जिसे [राज्य सरकार][2], सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

परिभाषायें

2–जब तक विशय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में–

(1) "कपास" का तात्पर्य हर प्रकार की अपरिश्कृत कपास से है जिसके अन्तर्ग्रत विदेशी अपरिश्कृत कपास तथा कपास का अपशिश्ट भी है;

(2)"आर्थिक सलाहकार" का तात्पर्य [उत्तर प्रदेश][3] सरकार के आर्थिक सलाहकार से है;

(3) "भारतीय केन्द्रीय कपास समिति" का तात्पर्य इंडियन काटन (सेस) ऐक्ट, 1923 के अधीन संघटित भारतीय केन्द्रीय कपास समिति से है:

(4) "स्वामी" का तात्पर्य कपास ओटने के किसी कारखाने या किसी कपास संपीडन कारखाने के स्वामी से है और इसके अन्तर्गत ऐसे कारखाने का प्रबन्धक अभिकर्ता या अन्य प्रमुख अधिकारी भी है ;

(5) "विहित दिनांक" का तात्पर्य अगस्त के इकतीसवें दिन से है ;

(6) "[राज्य]"[4] का तात्पर्य [उत्तर प्रदेश][3] से है:

(7) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कपास बेचने या खरीदने का कारोबार करता हो और इसके अन्तर्गत कोई दलाल या आढ़तियां जो अन्य व्यक्तियों के लिये कपास बेंचता या खरीदता हो और उनकी ओर से कपास का स्टाक रखता हो; या कपास का स्टाक रखने वाला कोई व्यक्ति भी है ;

(8) "कपास ओटने का कारखाना" तथा "कपास संपीडन कारखाना" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो काटन जिनिंग एन्ड प्रेसिंग फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1925 में क्रम ाः "काटन जिनिंग फैक्ट्री" तथा "काटन प्रेसिंग फैक्ट्री" पदों के हैं।

कपास की वार्षिक विवरणी का दिया जाना

3–(1) प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक स्वामी विभिन्न किस्मों के कपास के परिमाण के संबंध में जो उसके कब्जे में विहित दिनांक को हो, विवरणी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रपत्र में, प्रति वर्श तैयार करेगा या करायेगा और उसे आर्थिक सलाहकार को देगा या दिलायेगा।

(2) ऐसी प्रत्येक विवरणी विहित दिनांक के सात दिन के भीतर आर्थिक सलाहकार को दी जायेगी या डाक द्वारा भेजी जायेगी।

अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच का अधिकार

4–आर्थिक सलाहकार या उसके द्वारा लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति की, धारा 3 के अधीन अपेक्षित कोई सांख्यिकीय संगृहीत करने के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक पहुंच होगी जो किसी व्यापारी या स्वामी के कब्जे में हो, और वह किसी भी उचित समय पर किसी भी ऐसे भूगृहादि में प्रवेश कर सकेगा, जिसके भीतर ऐसे अभिलेख या दस्तावेज के होने का उसे विश्वास हो और वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा।

---

1. यह अधिनियम, 1 दिस्म्बर, 1947 को प्रवृत्त हुआ। गजट दिनांक 15 नवम्बर, 1947, भाग 1, पृश्ठ 828 पर अधिसूचना संख्या 9724/अट्ठाइस–200, दिनांक 6 नवम्बर, 1947 देखिए।
2. ऐडेप्टे ान आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्ि ायल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।
3. ऐडेप्टे ान आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाईटेड प्राविसेज) के लिए प्रतिस्थापित।
4. ऐडेप्टे ान आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्स) के लिए प्रतिस्थापित।

धारा 3 के अधीन अपेक्षित विवरणी का या धारा 4 के अधीन प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग

5–आर्थिक सलाहकार धारा 3 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणियों का या धारा 4 के अधीन प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे और वि ोश रूप से वह ऐसी विवरणियों या जानकारी का उपयोग भारतीय केन्द्रीय कपास समिति द्वारा अपेक्षित किन्हीं सांख्यिकीयों की सम्पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ कर सकेगा।

विवरणियों और जानकारी के प्रका ान पर निर्बन्धन

6–(1) धारा 3 के अधीन दी गयी कोई एकल विवरणी और ऐसी विवरणी का कोई भाग तथा धारा 4 के अधीन प्राप्त की गई कोई जानकारी, यथास्थिति, उस व्यापारी या स्वामी की जिसके द्वारा वह विवरणी भेजी गई हो या जानकारी दी गयी हो या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की, लिखित पूर्व सहमति के बिना इस प्रकार प्रकाशित न की जायेगी कि उसकी किन्हीं विशिश्टयों से यह पता चल सके कि वे कपास ओटने के किसी विशेश कारखाने या किसी विशेश कपास संपीडन कारखाने या किसी विशेश व्यापारी के कारोबार के प्रति निर्देश करती है।

(2) इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजनों के सिवाय, किसी भी व्यक्ति को जो इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित सांख्यिकीय संग्रहण में न लगा हो, उपधारा (1) में निर्दिश्ट कोई एकल विवरणी या जानकारी देखने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

शास्तियां

7–यदि कोई व्यक्ति––

(क) धारा 3 के अधीन अपेक्षित विवरणी जानबूझ कर देने से इंकार करेगा या बिना वैध कारण के उसे देने की उपेक्षा करेगा; या

(ख) जानबूझ कर कोई ऐसी विवरणी देगा या दिलायेगा जिसके बारे में वह जानता हो कि वह मिथ्या है; या

(ग) धारा 4 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करके पूछे गये किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा या जानबूझ कर उसका मिथ्या उत्तर देगा; या

(घ) सुसंगत अभिलेख या दस्तावेज तक धारा 4 द्वारा प्रदत्त पहुंच के अधिकार में या प्रवेश के अधिकार में अड़चन डालेगा;

तो वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दिवस के पश्चात् उस प्रत्येक दिवस के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहे, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा; तथा किसी मिथ्या विवरणी या उत्तर के संबंध में अपराध उस समय तक जारी समझा जायेगा जब तक सही विवरणी या उत्तर न दे दिया जाय।

जानकारी तथा विवरण को अनुचित रूप से प्रकट करने के लिए शास्ति

8–यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकीय संग्रहण में लगा है, इस अधिनियम के अधीन दी गई कोई जानकारी या बनाई गई किसी विवरणी की अन्तर्वस्तु, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों के निश्पादन से, अथवा इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन के प्रयोजन से, अन्यथा, जानबूझकर प्रकट करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या कारावास तथा जुर्माने दोनों से ही दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान

9–धारा 7 के अधीन कोई अभियोजन [राज्य सरकार][1] की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।

---

1. ऐडेप्टे ान आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्ि ायल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

इस अधिनियम के अधीन किए गये कार्यों के लिए संरक्षण

10–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी बात के संबंध में, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति

11–(1) [राज्य सरकार][1] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन की भार्त के अधीन रहते हुए, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वागामी भाक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विशयों के लिये व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात् :–

(क) धारा 3 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का प्रपत्र; और

(ख) धारा 4 द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों तक पहुंच के अधिकार तथा प्रवे ा के अधिकार का प्रयोग।

---

1. ऐडेप्टे ान आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्ि ायल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित।